FORUM FOR FAST JUSTICE

Trust Reg. No. E 24875(M) Income tax expmption:DIT(E)/MC/80G/1190/2008/2008-09 (perpetual)
Regd.No.083781346 issued U.S.11(1) of Foreign Contribution) Act, 2010 dated 09-11-12 for 5 years.

फोरम फोर फास्ट जस्टिस

कुबेर भवन, बजाज रोड, विले पार्ले (पश्चिम), मुम्बई-400056
फोन 22972942 फैक्स : 26148872 ई-मेल : fastjustice@gmail.com वेबसाईट : www.fastjustice.org

''न्यायपालिका बचाओ- देश बचाओ''

न्यायपालिका के बारे में न्यायाधीशों के विचार

1. लोग न्याय पाने के लिए 25 वर्ष की लम्बी अवधि तक इंतजार नहीं कर सकते। सहनशक्ति की भी एक सीमा होती है उससे ज्यादा लोगों को दबाना विनाशकारी सिद्ध होगा।

   - पूर्व प्रधान न्यायाधीश, न्यायमूर्ति भगवती, 7 मई 1976

2. यदि हमें उच्च आदर्शों वाले अपने प्रजातांत्रिक देश को बचाना है तो न्यायपालिका को बचाना होगा।

   -पूर्व प्रधान न्यायाधीश, न्यायमूर्ति आर.सी. लाहोटी, मुम्बई, दिसम्बर 2007

3. न्यायालयों को संचित मुकदमे निपटाने में 300 वर्ष लगेंगे।

   -मुख्य न्यायाधीश उड़ीसा हाईकोर्ट-टाइम्स ऑफ इंडिया 17.11.2008

4. संचित मुकदमे निपटाने में 320 वर्ष लगेंगे- आंध्र प्रदेश के न्यायाधीश-टाइम्स ऑफ इंडिया 7.03.2010

5. देहली हाईकोर्ट को संचित मुकदमे निपटाने में 466 वर्ष लगेंगे-पूर्व मुख्य न्यायाधीश देहली हाईकोर्ट एवं वर्तमान अध्यक्ष विधि आयोग न्यायमूर्ति ए.पी. शाह-डी.एन.ए. 14.02.2009

माननीय जजों, सांसदों, सरकारी वकीलों, गैर-सरकारी संगठनों, कम्पनियों, मुकदमों के पक्षकारों एवं सदाशयी नागरिकों

क्या आप सुन रहे हैं?

समय बीता जा रहा है और अगर हम उठ खड़े नहीं हुए, नहीं जागे और लक्ष्य की प्राप्ति(स्वामी विवेकानंद) (न्यायपालिका में सुधार) होने तक बिना रुके चलते नहीं रहे तो यह निश्चित मानिये कि यह

मुश्किल से हासिल किया गया जनतंत्र हमेशा के लिए खो जाएगा और यह देश जो पहले से ही समाज, सरकार एवं राजनीति में फैले हुए अपराधियों की पकड़ में है उस पर गुण्डों का पूर्णत: आधिपत्य हो जायेगा।

संसदीय चुनाव लड़ रहे राजनैतिक दलों से अपील

(i) अपने चुनाव घोषणा पत्रों में न्यायिक सुधारों को उचित स्थान दें।

(ii) इन सुधारों को प्रचार का मुख्य मुद्दा बनावें।

(iii) अपने कार्यकर्ताओं को न्याय प्रदाय प्रणाली को सही रास्ते पर लाने की आवश्यकता के बारे में शिक्षित करें।

(iv) हमेशा की भांति चुनावों के पश्चात् मिशन जस्टिस के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को न भूलें।

1. जनहित मंच द्वारा आन्दोलन प्रारम्भ : 2005

जनहित मंच, जो फोरम फोर फास्ट जस्टिस का पूर्ववर्ती संगठन एवं सहयोगी गैर-सरकारी संगठन है, ने न्यायिक सुधारों के लिए सघन अभियान चलाया तथा दिसम्बर 2007 में दो दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन भी आयोजित किया। जनहित मंच देश का एक अग्रणी संगठन है जो बोम्बे हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं फाइल करता रहता है। इसने एक जनहित याचिका नं. WP No.122 (C) सन् 2008 में करोड़ों संचित मुकदमों के निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी।

जनहित याचिका के मुख्य बिन्दु :

अ ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन बनाम भारत सरकार (2002) 4SCC247 के निर्णय में दिये गये विशेष निर्देशों का क्रियान्वयन किया जाये।

ब जजों की संख्या 10.5 प्रति दस लाख जनसंख्या से बढ़ाकर पांच वर्ष में यानि मार्च 2013 तक 50 जज प्रति दस लाख की जाये।

स सभी राज्यों में सभी स्तरों पर अधीनस्थ न्यायालयों में सभी रिक्त पदों को एक वर्ष में इतने अस्थायी जजों की नियुक्तियों से भरा जावे जितनी कि संचित मुकदमों के निपटारे के लिए आवश्यकता हो।

द इन जजों को समाहित करने के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था हो।

असीमित विलम्ब

(i) 5 रु. के लिए हत्या, मुकदमा 22 साल से खिंच रहा है : टाइम्स ऑफ इंडिया 2-5-2007

(ii) यदि असहनीय विलम्ब ऐसे ही जारी रहा तो लोग विद्रोह कर देंगे।

– प्रधान न्यायाधीश-न्यायिक ज्वाला जयपुर : 10.1.2010

(iii) राजधानी में इस वर्ष 635 बलात्कार के मामले दर्ज हुए परन्तु केवल एक को ही दोषी करार दिया गया

–डी.एन.ए. : 31.12.2012

(iv) प्रधान न्यायाधीश संचित मुकदमों के निपटारे के लिए दो पारियों में कार्य चाहते हैं

– डीएनए : 30.7.2006

(v) प्रधान न्यायाधीश : 2.7 करोड़ मुकदमों को निपटाने के लिए 35000 जजों की आवश्यकता

–टाइम्स ऑफ इंडिया 8.1.2010

जनहित मंच की प्रबन्ध समिति ने तीन वर्ष तक सुधारों का प्रयास करने के बाद मार्च 2008 में फोरम फॉर फास्ट जस्टिस को एक सार्वजनिक धर्मादा ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत करवाया जिससे आन्दोलन को आगे बढ़ाया जा सके एवं मिशन जस्टिस के लक्ष्य की प्राप्ति की ओर कार्य किया जा सके।

2. अर्थहीन मुकदमों को रोकने के कुछ उपाय :

सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश संख्या XVII में यह प्रावधान है कि किसी भी पक्षकार को केवल तीन स्थगन प्रदान किये जा सकते हैं और वो भी न्यायालय एवं अन्य पक्षकारों की क्षतिपूर्ति हेतु लागत वसूली के बाद। न्यायाधीश को ऐसे स्थगन आदेशों के कारण भी दर्ज करने होंगे।

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 35 में लागत लगाने के प्रावधान हैं तथा धारा 35A में झूठे एवं दुर्भावनायुक्त लागत लगाने का प्रावधान है। धारा 95 में अपर्याप्त कारणों के आधार पर गिरफ्तारी, कुर्की अथवा निशेधाज्ञा प्राप्त करने के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करने का प्रावधान है।

लागत तार्किक होनी चाहिये जिसमें सफल पक्षकार द्वारा लगाये गये समय की लागत, रहने एवं परिवहन की लागत या अन्य कोई आवश्यक खर्चा जो कोर्ट फीस के भुगतान के अलावा हो, वकील की फीस, टाइपिंग एवं मुकदमे से सम्बन्धित अन्य खर्चा शामिल हो।

किसी भी झूठे कथन, छुपाव या यहां तक कि तथ्यों को तोड़–मरोड़ कर पेश करने को पर्याप्त रूप से दण्डित किया जाना चाहिये तथा अभियोजन चलाने के आदेश दिये जाने चाहिये।

मुकदमे के अन्त में अन्तिम निर्णय लिखते समय न्यायालयों को पुनर्भरण की तरफ ध्यान देना चाहिये यानि कि हारने वाले पक्षकार द्वारा सफल पक्षकार द्वारा मुकदमे के दौरान सहे गये सभी नुकसानों की भरपाई करनी चाहिये जिससे उसे उसी स्थान में वापस लाया जा सके जैसा वह मुकदमा दायर करने से पहले था।

3. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का संक्षिप्त विश्लेषण

(i) 31 वर्ष बाद न्यायालय द्वारा बेहमाई नरसंहार मामले को शीघ्र निपटारे के लिए चुना। विशेष जज ने

62 वर्षीय गवाह के बयान दर्ज किये जिसने फूलन देवी द्वारा की गई हत्याओं को देखा था

–डी.एन.ए. 26.9.2012

(ii) सज्जन पर सिक्ख विरोधी दंगों के 30 साल बाद मुकदमा चलाया जायेगा

–टाइम्स ऑफ इंडिया 4.12.2013

इंदिरा गांधी की सिक्ख सुरक्षाकर्मी द्वारा हत्या कर दी गई थी। कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार, जिसने ऐसा माना जाता है कि इस नरसंहार की अगुवाई की थी, वो सुप्रीम कोर्ट तक की सारी अपीलें हार चुके हैं।

(iii) हाई कोर्टों में 300 से ज्यादा जजों के पद रिक्त–टाइम्स ऑफ इंडिया 24.12.2012

यह स्वीकृत 895 जजों के पदों का लगभग 35 प्रतिशत है। सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम जो नियुक्तियां करती है उसी तरह वह पूर्णतया सुस्त है जिस तरह उन हाईकोर्टों के मुख्य न्यायाधीश जो यह जानते हैं कि कब कौनसा जज किस तारीख को कार्यकाल पूर्ण कर रिटायर होने जा रहा है। वे न्यायालय प्रबन्धन में बहुत कमजोर हैं।

(iv) अमेरिकन मीडिया ने भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली की कड़ी आलोचना की।–डीएनए 24.12.2012

न्यूयार्क टाइम्स ने कहा 'भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली अक्षमता, भ्रष्टाचार एवं राजनैतिक हस्तक्षेप से त्रस्त है।'

(v) दोषी करार देने की दर कम होने के कारण यौन अपराध के मामले भारत में बढ़ रहे हैं।

2011 में केवल 25 प्रतिशत बलात्कार के आरोपी पुरुष दोषी पाये गये। टाइम्स ऑफ इंडिया 24.12.2012

क्यों? भ्रष्ट पुलिस जांच व्यवस्था। लापरवाह सरकारी वकील, न्यायाधीश जो कोई–कोई भ्रष्ट भी होते हैं।

(vi) सुप्रीम कोर्ट : चैक अनादरण के 40 लाख मामले लम्बित होना एक गम्भीर विषय है–टाइम्स ऑफ इण्डिया : 22.1.2013

ऐसे मामले 2 से लेकर 10 साल से लम्बित हैं। नेगोशियेबल इंस्ट्रमेंट एक्ट 1881 (संशोधित) की धारा 143(3) में प्रावधान है :

'इस धारा के तहत प्रत्येक सुनवाई जितनी तेज गति से हो सके, की जायेगी। यह प्रयास किया जायेगा कि शिकायत दर्ज होने की तारीख से छह माह के अन्दर सुनवाई समाप्त हो जाये।'

(vii) धनी वकील (सुप्रीम कोर्ट के) : नये नवाब-इंडिया टुडे 17.4.2013

नाम	फीस प्रति पेशी	पूरे दिन की फीस
हरीश साल्वे	2.5 लाख से 3 लाख रु.	25 लाख रु.
राम जेठ मलानी	5 लाख	--------
मुकुल रोहतगी	2.5 लाख से 3 लाख रु.	25 लाख रु.
मजीद मेमन	प्रति जमानत 2 लाख रु.	10 लाख रु.
सतीश मानशिंदे	--------	10 लाख रु.
अभिषेक मनु सिंघवी	2.5 लाख से 3 लाख रु.	25 लाख रु.

(viii) हम बहुत धैर्यवान हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता अमृत्य सेन ने कहा कि धैर्य निराशा का छोटा रूप है जिसे गुण समझा जाता है-मुम्बई मिरर 26.7.2013

अब समय आ गया है शांतिपूर्ण विद्रोह का, सत्याग्रह, असहयोग एवं सविनय कानून भंग का।

(ix) जितना बड़ा आपराधिक आरोप होगा उतना ही मोटा राजनीतिज्ञ का पर्स होगा। दागी नेता ज्यादा चुनाव जीतते हैं। राज्य सभा सीट 100 करोड़ रु. में बिकती है : कांग्रेस सांसद

-टाइम्स ऑफ इंडिया : 30.7.2013

(x) बदले की भावना से ग्रस्त सरकार न्यायपालिका की कार्रवाई में बाधा डाल रही है-सुप्रीम कोर्ट। कोई बुनियादी सुविधाएं प्रदान नहीं करती, यहां तक कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष का 500 रु. का बिल भी पास नहीं किया। -टाइम्स ऑफ इंडिया : 9.2.2013

न्यायपालिका के साथ बजट राशि स्वीकृत करते समय सौतेले पुत्र जैसा व्यवहार किया जाता है। हम मुश्किल से अपने बजट का 0.1 प्रतिशत न्यायपालिका के लिये रखते हैं जबकि कोरिया में यह 0.29 है, सिंगापुर में 1.29 है एवं अमेरिका में 1.4 प्रतिशत है।

(xi) दिल्ली के 43 प्रतिशत विधायक आपराधिक मामलों में आरोपी हैं।-टाइम्स ऑफ इंडिया 8.10.2013

वास्तविक अपराधों की संख्या तो कहीं ज्यादा है। अधिकतर लोग शिकायत करने से डरते हैं।

(xii) पहले से ही कम 10 प्रतिशत दोषसिद्धी की दर अब 7 प्रतिशत ही रह गई

-टाइम्स ऑफ इंडिया 22.11.2013

(xiii) 'अन्ना जैसे आंदोलन जनतंत्र की मदद करते हैं' : भारत के राष्ट्रपति-हिन्दुस्तान टाइम्स : 20.12.2013

(xiv) न्यायमूर्ति भगवती एवं न्यायमूर्ति तुलजरपुरकर द्वारा 30.10.1979 को दिया गया निर्णय जो रिपोर्ट हुआ

:''कानून का क्रियान्वयन यह धारणा बनाता है कि कानून छोटे लोगों पर लागू है तथा धनी एवं प्रभावी लोग इसकी पहुंच से बाहर हैं।''

4. सुप्रीम कोर्ट की और अधिक न्यायपीठों की आवश्यकता

पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट की एक अतिरिक्त न्यायपीठ है, आस्ट्रेलिया एवं अमेरिका में प्रत्येक हाईकोर्ट में सर्किट कोर्ट हैं जिनके पास सुप्रीम कोर्ट की सत्ता हैं। भारत में एक गरीब पक्षकार चेन्नई अथवा अगरतल्ला से दिल्ली स्थित सुप्रीम कोर्ट लगभग 40 घंटे की कठिन यात्रा के पश्चात् पहुंच पाता है। सुप्रीम कोर्ट विधि आयोग एवं भारत सरकार द्वारा दिये गये इस प्रस्ताव को क्यों नहीं मानता कि कोलकाता, मुम्बई, भोपाल, नागपुर, हैदराबाद, बैंगलोर एवं चेन्नई में सुप्रीम कोर्ट की न्यायपीठें स्थापित हों या कम से कम प्रत्येक हाई कोर्ट में ऐसी सर्किट कोर्ट स्थापित हो जिन्हें सुप्रीम कोर्ट की सत्ता प्राप्त हों?

5. फोरम की पहल

फोरम फॉर फास्ट जस्टिस, एक ऐसी ट्रस्ट है जिसे आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80G के अन्तर्गत दान पर छूट प्राप्त है तथा जिसे फॉरेन कन्ट्रीब्यूशन (रेगूलेशन) एक्ट 2010 के तहत अनुमति प्राप्त है। यह देश का एक मात्र गैर सरकारी संगठन है जो देश में न्यायिक सुधारों के अनवरत अभियान की अगुवाई ''न्यायपालिका बचाओ-देश बचाओ'' के नारे के अन्तर्गत कर रहा है।

फोरम देश के विभिन्न शहरों एवं कस्बों में लगभग 100 केन्द्र 'सोसायटी फॉर फॉस्ट जस्टिस' के नाम से स्थापित करने की प्रक्रिया में प्रयासरत है तथा लगातार विभिन्न शहरों में न्यायिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए कार्यशालाएं, सेमीनार, संगोष्ठियां एवं अधिवेशन आयोजित करती रहती है। 16 ऐसी सोसायटियां अभी तक पंजीकृत हो चुकी हैं तथा इतनी ही सोसायटियां जल्द ही और पंजीकृत की जायेंगी।

6. प्रोत्साहन एवं आमंत्रण

फोरम ने एक लाख रुपये के एक ओ पी मोंगा पुरस्कार की स्थापना की है जो किसी व्यक्ति अथवा संगठन को न्यायिक सुधारों के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किया जायेगा। इस पुरस्कार के प्रथम विजेता बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के श्री प्रवीण पटेल हैं जिन्होंने इसे 30 जनवरी, 2014 को प्राप्त किया। फोरम प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये किसी भी ऐसे संगठन को खर्चे के लिए अनुदान प्रदान करता है जो देश में कहीं भी दो दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन न्यायिक सुधारों पर आयोजित करेगा। फॉरम प्रत्येक सोसायटी फॉर फास्ट जस्टिस को, जो देश में कहीं भी रजिस्टर्ड होगी, प्रारम्भिक खर्चों के लिए 10000 रु. का अनुदान देता है।

7. राष्ट्रव्यापी अभियान

पिछले 9 सालों की लम्बी अवधि से जनहित मंच एवं फोरम व्यापक रूप से कार्य कर रहे हैं और प्रत्येक 6 माह में ऐसी विवरणिका की 2000 प्रतियां को अपडेट एवं प्रकाशित करके सभी हाईकोर्टों के जजों, सुप्रीम कोर्ट के जजों, सरकारों, सांसदों, केन्द्रीय एवं राज्य बार काउंसिल के सदस्यों, गैर-सरकारी संगठनों एवं प्रतिष्ठित नागरिकों को निरन्तर देशभर में भेजा जा रहा है। न्यायपालिका, संसद, सरकारों एवं वकील बिरादरी को उत्कष्टतापूर्वक अपीलें की गई परन्तु उन्हें अनसुना कर दिया गया। ऐसे प्रकाशन को हजारों नागरिकों को ई-मेल द्वारा पूरे देश भर में भेजा गया। परन्तु क्या करें, कोई भी उत्साहवर्धक जवाब लोगों से नहीं आया क्योंकि वे ऐसी गतिविधियों में शामिल होने पर न्यायालय की अवमानना के दोषी पाये जाने से डरते हैं। फोरम ने दो दिन का एक राष्ट्रीय अधिवेशन न्यायिक सुधारों पर जनवरी 2011 में मुम्बई में आयोजित किया था जो कि बहुत ही सफल रहा जिसमें 300 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया तथा 28 न्यायाधीश (सेवानिवृत्त), विधिवेत्ता एवं देशभर के जाने-माने प्रतिष्ठित लोगों ने सभा को सम्बोधित किया। ऐसा ही एक और राष्ट्रीय अधिवेशन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 28 फरवरी-1 मार्च, 2014 को आयोजित किया गया जो भी अत्यधिक सफल रहा।

सन् 2009 से 2013 के दौरान फोरम के सदस्यों ने राजनीति के प्रमुख लोगों से मुलाकात की और उससे अपील की कि वे सुधारों के लिए निश्छल भाव से कार्य करें। सभी ने सहमति जतायी परन्तु किसी ने कुछ किया नहीं।

8. अब फोरम गांधीवादी सिद्धान्तों के साथ आक्रामक बनने जा रहा है

लोगों की व्यापक उदासीनता से दु:खी होकर फोरम ने अपने आपको पूरे देश की गलियों में उतारने का निर्णय लेने का निश्चय किया:-

(a) पहला रोड शो बैनर्स, पोस्टर्स एवं नारों एवं लघु नाटिकाओं के साथ दो विरोध रैलियों के रूप में हुआ। प्रत्येक में लगभग 20 कारों सहित मुम्बई की सड़कों पर 30 जनवरी, 2014 को सुबह 9.00 बजे से घूमे। इसी दिन महात्मा गांधी की पुण्यतिथि थी।

(i) एक रैली नवी मुम्बई से थाने, घाटकोपर, दादर, बाईकला, वीटी होते हुए आजाद मैदान पर खत्म हुई।

(ii) दूसरी रैली दहीसर से अंधेरी, दादर, ओपेरा हाउस, गिरगांव, धोबी तलाब होते हुए आजाद मैदान पर खत्म हुई।

ये रैलियाँ एक सभा के रूप में आजाद मैदान में एकत्रित हुई जिसमें लगभग 500 आन्दोलनकारी थे। जहां उन्होंने अपनी शिकायतें, आक्रोश और निराशा व्यक्त करते हुए इस बात पर जोर दिया कि 'देरी से मिला

न्याय, अन्याय के समान है।'

उस सभा में भाषण, गानों, नारों एवं लघु नाटिकाओं द्वारा न्यायिक कार्य प्रणाली की दशा दर्शायी गई और भारतीय न्यायालयों में 3.30 करोड़ लम्बित मुकदमों के संचित अम्बार को कम करने के उपाय खोजने की कोशिश की गई। फोरम की दो टीमें बम्बई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए गईं।

9. एक महायात्रा

नवम्बर 2015 में एक महीने भर लम्बी न्यायिक तीर्थयात्रा आयोजित की जायेगी जिसमें कई सौ गांवों, कस्बों एवं शहरों से गुजरते हुए जायेंगे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक एवं कच्छ से कोलकाता तक पूरे देश में रास्ते भर सार्वजनिक सभाओं का आयोजन किया जायेगा।

और यदि इस बीच सुधारों की प्रक्रिया सही मायने में प्रारम्भ नहीं की गई तो :

10. अनिश्चितकालीन अनशन 30 जनवरी 2017 से जन्तर-मन्तर दिल्ली पर किया जायेगा। अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक कि सरकार से वास्तविक आश्वासन नहीं मिल जाता।

11. आपकी उदासीनता से यह देश आपराधिक तत्वों के हाथ में चला जायेगा। आईये, हम सब यह सिद्ध कर दें कि 'मेरा भारत महान' है और यह सिद्ध न होने दें कि हम कायर और स्वार्थी हैं। आईये, हम सब मिलकर सुरक्षित एवं संरक्षित भारत के लिए काम करें जिससे मुश्किल से हासिल इस जनतंत्र को बचाया जा सके क्योंकि अगर यह खो गया तो यह देश तानाशाह एवं गुण्डों के देश में परिवर्तित हो जायेगा।

अध्यक्ष एवं प्रबंध ट्रस्टी	–	भगवानजी रैयाणी
सचिव	–	मुकुन्द पारीख
बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़	–	ओ.पी. मोंगा, वेंकटरमन मुरलीधर (मानद), प्रकाश खाटीवाला, रमेश काणकिया, आशिष मेहता, प्रवीण दोशी, मनोज चम्पानेरकर, अतिथि पटेल एवं राजेन्द्र ठक्कर
सलाहकार परिषद	–	इन्द्रवदन शुक्ला, कश्यप व्यास, दिलीप गांधी, सुश्री शर्ली सिंह, पद्मनाभ वोरा, मेहुल कुवाड़िया, सुश्री जीनत कांचवाला, चेतन रॉय एवं शैलेश गांधी

अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद – सुरेश अग्रवाल, जयपुर